\

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
खाद्य संरक्षा विभाग, 8वॉ तल,
मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001.

सं.एफ 151(02)/डीओएफएस/मिस./विधानसभा/2025/4729 दिनांकः– 21/3/25

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054.

विषय :– दिनांक 24.03.2025 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्र.सं. 66 का उत्तर।

महोदय,

इस विभाग को उपरोक्त विषय में मेल द्वारा भेजे गए विधानसभा प्रश्न दिनांक को संदर्भ ग्रहण करें। प्रश्नों के उत्तर की वांछित 100 प्रतियाँ निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही हैं।

यह सूचना माननीय स्वास्थ्य मंत्री की स्वीकृति से जारी है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

21/03/2025
(राजेन्द्र कुमार भास्कर)
पदनामिताधिकारी, खाद्य संरक्षा विभाग

सं.एफ 151(02)/डीओएफएस/मिस./विधानसभा/2025/
प्रतिलिपि : दिनांकः–

1. निदेशक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, ब्लॉक नं.–9, दिल्ली (प्रश्नों के उत्तर की 100 प्रतियाँ संलग्न हैं)

विभाग का नाम :– खाद्य संरक्षा विभाग,
विभाग का पता :– आठवां तल, मयूर भवन, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
अतारांकित प्रश्न संख्या :– 66
दिनांक :– 24.03.2025
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या स्वास्थ्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :–

<table>
<tr><th>क्रम</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा विगत वर्षों में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए क्या कोई स्पेशल ड्राइव चलाया गया था।</td><td>हां, खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा पूरे दिल्ली क्षेत्र को 11 राजस्व जिले में बांटा गया हैं और मुस्ताफाबाद विधानसभा क्षेत्र जिला उत्तर–पूर्वी के करावल नगर तहसील के अन्तर्गत आता है। विभाग द्वारा समय समय पर खाद्य पदार्थों की जांच के लिए नमूनें लिये जाते हैं।</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>यदि हां, तो उसका विवरण दें।</td><td>विगत तीन वर्षों में (01.01.2022 से 18.03.2025) तक उठायें गये खाद्य पदार्थों के नमूनों का ब्यौरा इस प्रकार है:–
<table>
<tr><th>कुल नमूनों की संख्या</th><th>परिणाम लम्बित</th><th>ठीक पाये गये</th><th>मिसब्रांडेड</th><th>अवमानक</th><th>असुरक्षित</th></tr>
<tr><td>232</td><td>38</td><td>182</td><td>1</td><td>5</td><td>6</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ग</td><td>उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र के खाद्य पदार्थों से संबंधित दुकानों में क्या कभी कोई सेम्पल का नमूना लिया गया था।</td><td>जी, हां</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>यदि हां, तो क्या वो नमूने सही थे। और</td><td>उपरोक्त 'ख' के अनुसार</td></tr>
<tr><td>ड़</td><td>यदि नहीं तो क्या उपरोक्त दुकानों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई, पूर्ण विवरण दें।</td><td>विगत तीन वर्षों में करावल नगर तहसील से 232 नमूने जांच के लिए उठाये गयें। जांच के बाद 12 नमूनें खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 के मानक के अनुसार सही नहीं पायें गये और दोषियों के खिलाफ खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सम्बन्धित न्यायालयों में मुकदमें दर्ज किये।</td></tr>
</table>

18/03/2025
राजेन्द्र कुमार भास्कर
पदः नामित अधिकारी